

1

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के महत्वपूर्ण प्रावधान CCS(RP) Rules 2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. पदों के लेवल – संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुसूची विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।
3. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण –
 - (1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा यदि ग्रहणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका ग्रहणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में निम्नलिखित विधि से अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात् –
 - (क) सभी कर्मचारियों के मामले में –
 - (i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवन में वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रूपए तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुसूची कोई समरूप राशि है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

उदाहरण –

1	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
2	विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
3	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 10160	लेवल	1	2	3	4	5
4	विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)	1	18000	19900	21700	25500	29200
5	2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन : 12560 X 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)	2	18500	20500	22400	26300	30100
6	ग्रेड वेतन 2400 का तदनुसूची लेवल : लेवल 4	3	19100	21100	23100	27100	31000
7	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 32300	4	19700	21700	23800	27900	31900
		5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	29600	33900
		7	21500	23800	26000	30500	34900
		8	22100	24500	26800	31400	35900
		9	22800	25200	27600	32300	37000
		10	23500	26000	28400	33300	38100
		11	24200	26800	29300	34300	39200



98 | उचित इन्कमटैक्स की गणना कैसे करें ?

- (ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप-खण्ड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा:
- (ख) चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है, के मसले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:
- (i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर महंगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।
- (ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के संबंध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण –

1	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3	वेतन बैंड	15600-39100		
2	विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400	ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
3	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 15600	लेवल	10	11	12
4	विद्यमान मूल वेतन : 21000	1	56100	67700	78800
5	मूल वेतन पर 25 प्रतिशत प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250	2	57800	69700	81200
6	प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125 प्र.श. की दर से महंगाई भत्ता : 6563	3	59500	71800	83600
7	2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतन : 21000 X 2.57 = 53970	4	61300	74000	86100
8	प्रैक्टिसबंदी पर महंगाई भत्ता : 6563 (5250 का 125 प्र.श.)	5	63100	76200	88700
9	क्रम संख्या 7 और 8 का जोड़ 60533	6	65000	78500	91400
10	5400 ग्रेड वेतन (पीबी-3) का तदनुरूपी लेवल : लेवल 10				
11	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 61300				
12	संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250				
13	संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550				



- (2) यदि किसी पद को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अनुसूची के भाग 'ब' अथवा भाग 'ग' में दर्शाए गए उन्नत किया गया है तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तदनुरूपी ग्रेड वेतन में संबंधित कर्मचारी द्वारा विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन जोड़ दिया जाएगा और फिर वेतन का निर्धारण-उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार निर्धारित विधि से किया जाएगा।

उदाहरण –

1	विद्यमान वेतन बैंड – पी.बी. 1	वेतन बैंड	5200–20200				
2	विद्यमान वेतन : 2400	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
3	विद्यमान मूल वेतन : 12560	लेवल	1	2	3	4	5
4	उन्नत ग्रेड वेतन : 2800	1	18000	19900	21700	25500	29200
5	निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन : 12960	2	18500	20500	22400	26300	30100
6	क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन : 33307 .20 (33307 में पूर्णांकित)	3	19100	21100	23100	27100	31000
7	ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5	4	19700	21700	23800	27900	31900
8	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : 33900	5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	29600	33900
		7	21500	23800	26000	30500	34900

- (3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।
- (5) निलंबन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।
- (6) यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए लागू वेतन संरचना का विलय एक लेवल में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप-नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।
- (7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियों 'संशोधित परिलब्धियों' से अधिक है तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप-नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।
- (9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो



100| उचित इन्कमटैक्स की गणना कैसे करें ?

उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अंतर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली बढ़ोत्तरियों में से समाहित कर लिया जाएगा।

- (10) (i) ऐसे मामलों में जहाँ कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्ययन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्
- (क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनो सरकारी सेवक एक ही काडर के हो और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी काडर के समरूप पद हो।
- (ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, की संशोधन-पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हो।
- (ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो।
- बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप-नियम के उपबंध लागू नहीं किए जायेंगे।
- (ii) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुननिर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए आएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात वेतन के पुननिर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।
- (11) नियम 5 के उपबंधों के अध्ययन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा-निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।
8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण-01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का वेतन उस पर पर जिस पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।
- बशर्ते, कि 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियाँ उस पर जिस पर उसे 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका में अधिक हो जाती है तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
9. **वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि** – वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत कोष्ठिका में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।



उदाहरण –

लेवल 4 में 32300 रूपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लंबवत नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 333000 हो जाएगा।	वेतन बैंड	5200–20200				
	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
	लेवल	1	2	3	4	5
	1	18000	19900	21700	25500	29200
	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	33900
	7	21500	23800	26000	30500	34900
	8	22100	24500	26800	31400	35900
	9	22800	25200	27600	32300	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100	
11	24200	26800	29300	34300	39100	

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख :-

- (1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई :
बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी और 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण –

- (क) ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:
- (ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसे बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:
बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी:
बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्त होगी।



102| उचित इन्कमटैक्स की गणना कैसे करें ?

- (3) ऐसे मामलों में, जहाँ पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुसूची लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहाँ वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।
- (11) 01 जनवरी, 2016 के पश्चातवर्ती तारीख से वेतन का संशोधन— यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।
- (12) 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण – संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा –
- (i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी प्रोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें प्रोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण –

1.	संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4	वेतन बैंड	5200–20200				
2	संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन: 28700	ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
3	प्रोन्नति/एमएसीपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में	लेवल	1	2	3	4	5
4	लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात वेतन : 29600	1	18000	19900	21700	25500	29200
5	उन्नत लेवल अर्थात् 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600) के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	2	18500	20500	22400	26300	30100
		3	19100	21100	23100	27100	31000
		4	19700	21700	23800	27900	31900
		5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	29600	33900
		7	21500	23800	26000	30500	34900

- (ii) प्रेक्टिसबंदी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में मूल वेतन + प्रेक्टिसबंदी भत्ता, शीर्ष लेवल और मंत्रीमण्डल सचिव के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।
- (13) वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि – बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016–17 में किया जाएगा।
स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है –
- (i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़ और—
- (ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।



SCHEDULE
[See rules 3 (vi) and 7(2)]
PART A
Pay Matrix

Pay Ban	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000	90000
Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Level	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17	18	
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							